भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

फाइल संख्या आरजी-14/1/(3)/2021-बी और सीएस(2) दिनांक: 8.12.2021

प्रति

टीवी चैनलों के सभी प्रसारक और वितरक

विषय: दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा रजिस्टर इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ऐसे अन्य सभी मामले विनियम, 2019 का कार्यान्वयन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) ने 4 सितंबर, 2019 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा रजिस्टर इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ऐसे अन्य सभी मामले विनियम, 2019 (2019 का 2) बनाया, और सभी उक्त विनियमों के प्रावधान 2 जनवरी, 2020 से लागू हो गए हैं।

2. उक्त विनियमों के प्रावधानों को केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष "AIDCF & Anr. v. TRAI & Anr." शीर्षक से 2020 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 428 के तहत चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.01.2020 के द्वारा आदेश दिया था कि प्रतिवादियों द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने अब उक्त रिट याचिका का निपटारा अपने निर्णय दिनांक 12.07.2021 के द्वारा किया है, और उक्त विनियमों के प्रावधानों को आंशिक रूप से उस सीमा तक अलग रखा है, जिस हद तक उन्हें प्लेसमेंट/विपणन समझौतों के पंजीकरण की आवश्यकता है।

4. इस प्रकार, उक्त विनियमों के सभी प्रावधान, उस सीमा को छोड़कर, जिसमें उन्हें प्लेसमेंट/विपणन अनुबंधों के पंजीकरण की आवश्यकता है, प्रचालन में हैं; और सेवा प्रदाता जो इसका अनुपालन करने में विफल रहत हैं, उनके खिलाफ उक्त विनियमों और टीआरएआई अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

5. यह स्मरण किया जा सकता है कि उक्त विनियमों से संबंधित डेटा / विवरण दाखिल करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने बी एंड सीएस इंटीग्रेटेड पोर्टल सिस्टम (बीआईपीएस) तैयार किया है, जिसे 2 जनवरी, 2020 को लाइव किया गया था।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, टीवी चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों से अनुरोध है कि वे दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा रजिस्टर इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ऐसे अन्य सभी मामले विनियम, 2019 के प्रावधानों को तुरंत लागू करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करें; ऐसा न करने पर उक्त विनियमों और भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ह.
(सपना शर्मा)
संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस)